

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 148/2020 (धारा 14 शिवयोरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बडौदा शाखा दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

- (1) मैसर्स विदिशा एन्टरप्राईजेज प्रो. श्री विकास खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र खण्डेलवाल (ऋणी)  
(अ) ए-56, बगरना इण्डस्ट्रीयल एरिया, बी एस एन एल ट्रेनिंग सेन्टर के सामने रोड नं. 14, वी के  
आई ए एरिया, जयपुर,  
(ब) ए-15, गोविन्द देव कालोनी, चौगान स्टेडियम के पीछे, गणगोरी बाजार,, जयपुर,  
(स) आफिस नं. 6 प्रथम तल, प्लॉट नं. 14, दूलीप एन्क्लेव, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation  
and reconstruction of financial assets and  
enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :-

1. श्री संजय सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश

दिनांक: 14.09.2020



1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.04.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी विकास खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति आफिस नं. 6 प्रथम तल, प्लॉट नं. 14, दूलीप एन्क्लेव, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 282.05 वर्गफिट को बन्धक कर ऋण खाता केश क्रेडिट में 80,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।


2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी 01 ने जरिये अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड के दिनांक 25.08.2020 को

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आगामी तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया है। न्याय हित में अप्रार्थी को अवसर दिया गया।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ऋणी के अधिवक्ता ने पुनः अवसर चाहते हुये तारीख पेशी दिये जाने का निवेदन किया है। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक एस ओ 2831 (एफ) दिनांक 01.09.2016 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को धारा 14 के प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने की समय सीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है, इसलिए अप्रार्थी ऋणी को ज्यादा अवसर नहीं दिये जा सकते। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 80,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 83,32,670/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी विकास खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार खण्डेलवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति आफिस नं. 6 प्रथम तल, प्लॉट नं. 14, टूलीप एन्चलेव, सेन्ट्रल स्पाईन, विद्याधर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 282.05 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
7. आदेश आज दिनांक 14.09.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
14/9/2020  
(अन्तस सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(जनसुधार) जयपुर